

प्रधानमंत्री कसिन सम्मान निधि (PM-KISAN)

प्रमुख बातें

- शुरुआत: दसिंबर 2018
- प्रकार: केंद्रीय क्षेत्रक योजना
- उद्देश्य: संपूर्ण भारत में भूमधारक कसिन परवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करना
- सहायता राशि: 6,000 रुपए प्रतिवर्ष (2,000 रुपए की 3 समान कशितें)
- पात्रता: सभी भूमधारक कसिन (कुछ अपवादों को छोड़कर)
- लाभार्थी की पहचान: योजना के दशा-निर्देशों के अनुसार राज्य सरकारों और केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा की जाती है।

PM-KISAN:

यह एक केंद्रीय क्षेत्रक योजना (भारत सरकार द्वारा 100% वित्तिपोषित) है जिसे दसिंबर 2018 में संपूर्ण भारत में सभी भूमधारक कसिन परवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के क्रम में शुरू किया गया था।

Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi (PM-KISAN) Scheme


Benefits

Offers ₹6,000 annually in three installments.



Objective

Aims to provide financial support to farming families.



Beneficiaries

Includes all landholding farmers with some exclusions.



Type

Classified as a Central Sector Scheme.



PM-KISAN योजना की मुख्य विशेषताएँ क्या हैं?

- आय सहायता: इस योजना के तहत पात्र कसिन परवारों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपए की दर से प्रत्यक्ष आय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। यह आय सहायता 2,000 रुपए की तीन समान कशितों में लाभान्वति कसिनों के बैंक खातों में प्रत्यक्ष रूप से हस्तांतरता की जाती है।

- **प्रत्यक्ष लाभ अंतरण:** इससे सुनिश्चित होता है कि पारदर्शनी को बढ़ावा देने एवं वलिंब को कम करने के क्रम में धनराश को प्रत्यक्ष रूप से लाभार्थियों के बैंक खातों में स्थानांतरण किया जाए।
- **पात्रता:** सभी भूमधिकरक कसिन परविर (जिनके नाम पर कृषियोग्य भूमि है) इस योजना के अंतर्गत लाभ के पात्र हैं।
 - **परविर की परभिष्ठा:** इस योजना के प्रयोजनों हेतु एक कसिन "परविर" में पति, पत्नी एवं नाबालग बच्चों को शामिल किया गया है।
- **लाभार्थी की पहचान:** पात्र कसिन परविरों की पहचान करने की ज़मिमेदारी योजना के दशानिर्देशों के अनुसार राज्य सरकारों एवं केंद्रशासित प्रदेशों (UT) की है।
- **कार्यान्वयन एजेंसी:** कृषि एवं कसिन कल्याण मंत्रालय का कृषि एवं कसिन कल्याण वभिग (DA&FW) कार्यान्वयन एजेंसी है।
 - इस योजना को लागू करने के लिये DA&FW सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के कृषिवभिग के साथ कार्य करता है।
- **KCC लकिज़:** सरकार ने कसिनों की औपचारिक ऋण तक पहुँच को सुव्यवस्थित करने, दस्तावेजीकरण को कम करने और मौजूदा लाभार्थी डेटा का उपयोग करके ऋण प्रसंस्करण को तेज़ करने के लिये कसिन क्रेडिट कार्ड को PM-KISAN के साथ जोड़ा गया।

PM-KISAN योजना की बहषिकरण शरणियाँ क्या हैं?

PM-KISAN योजना में उच्च आर्थिक स्थितिवाले लाभार्थियों को शामिल नहीं किया गया है, जिससे वे लाभ के लिये अपात्र हो गए हैं। ये बहषिकरण इस प्रकार हैं:

- **संस्थागत भूमधिकरक:** सभी संस्थागत भूमधिकरक पात्र नहीं होते हैं।
- **उच्च आर्थिक स्थितिवाले कृषक परविर:** ऐसे परविर जिनका कोई सदस्य संवैधानिक पद पर है या रह चुका है।
 - पूर्व एवं वर्तमान मंत्री (केंद्रीय या राज्य), संसद सदस्य (लोकसभा/राज्यसभा), राज्य विधानसभा/परिषद साथ ही नगर नगिमों के पूर्व/वर्तमान महापौर और ज़लिया पंचायतों के अध्यक्ष।
- **सरकारी करमचारी और पेशनभोगी:** केंद्र/राज्य सरकार के मंत्रालयों, वभिगों तथा क्रेतरीय इकाइयों के सभी सेवारत या सेवानवित्त अधिकारी एवं करमचारी, जिनमें सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम (PSE) व सरकार के अधीन स्वायत्त संस्थान और स्थानीय नकायों के नियमित करमचारी शामिल हैं।
 - यह बहषिकार मलटी-टास्किंग (MTS), श्रेणी IV या गुप्त D करमचारियों पर लागू नहीं होता है।
 - **MTS, चतुरथ श्रेणी** या गुप्त D सेवानवित्तों को छोड़कर, 10,000 रुपए या उससे अधिक मासिक पेशन वाले सभी सेवानवित्त पेशनभोगी।
- **आयकरदाता:** जिन व्यक्तियों ने पछिले कर निधारण वर्ष में आयकर का भुगतान किया है, उन्हें इस योजना से बाहर रखा गया है।
- **पेशेवर:** पेशेवर नकायों के साथ पंजीकृत डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट और आर्किटेक्ट जैसे पेशेवर भी इस योजना से बाहर रखे गए हैं।

योजना का प्रभाव

- **कसिनों के लिये आय सहायता:** अक्तूबर 2024 में 18वीं कसित के साथ, कुल संवत्तिरण 3.45 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो गया, जिससे 11 करोड़ कसिनों को लाभ हुआ। यह छोटे और सीमांत कसिनों को आय सहायता प्रदान करता है, जिससे ऋण पर निभरता कम होती है।
- **कुशल डिजिटल कार्यान्वयन:** यह योजना आधार-आधारति सत्यापन तथा वास्तविक समय भुगतान ट्रैकिंग के माध्यम से 100% प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण सुनिश्चित करती है, जिससे लीकेज न्यूनतम होता है एवं पारदर्शनी सुनिश्चित होती है।
- **ग्रामीण अरथव्यवस्था को बढ़ावा:** नियमित वतितीय सहायता से कृषिइनपुट, स्वास्थ्य देखभाल और शक्षिका पर खरच को बढ़ावा मिलता है, जिसका ग्रामीण अरथव्यवस्था तथा स्थानीय बाज़ारों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है।